न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0–17/2016–17
राज्य बनाम मनराज गंझु ग्राम–कोजरम।

कमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

–:आदेश:–

अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 200/रा0, दिनांक–28.02.2020 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व विभाग के पत्रांक–695 (5)/रा0, दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक 2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 में दिये गये आदेश/निदेश के अनुपालनार्थ संदेहात्मक जमाबंदी की जांच की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् दी गई जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। जमाबंदी रैयत/उनके वंशज द्वारा अपने जमाबंदी के पक्ष में दिये गये राजस्व रसीद आदि का जांच किया गया। जमाबंदीदार द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन एवं जांचोपरांत स्पष्ट होता है कि मनराज गंझु मौजा कोजरम के नाम से के खाता 1/5 प्लॉट 14 रकवा 2.30 ए0 एवं प्लॉट सं0 12 रकवा 0.20 ए0 कुल रकवा 2.50 ए0 गैरमजरूआ खास भूमि किस्म जंगल–झाडी पंजी II के पृष्ट सं0 52/1 पर कायम जमाबंदी संदिग्ध पाया गया। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम सादा है एवं यह जमा. बंदी बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कायम हुई है। यह जमाबंदी बिना कोई वाद सुनवाई के कायम हुई है। अभिलेख एवं अभिलेख में संलंग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत द्वारा सिर्फ 2010 में निर्गत एक सरकारी रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है। भूमि प्राप्ति से संबंधित कोई कागजात दाखिल नही की गई है। जमींदारी रिर्टन दाखिल नही किया गया है। जमाबंदीदार के नाम से प्रथम रसीद वर्ष 2010 में निर्गत की गई है। वर्ष 2010 के पूर्व का एक भी सरकारी रसीद जमाबंदीदार द्वारा दाखिल नही किया गया है। किस पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। जमाबंदी का प्राधिकार कॉलम सादा है।

विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 द्वारा वन भूमि/जंगल झाडी भूमि को नियमितिकरण/बंदोबस्ती हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0,

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 में प्र. तिवेदित चेक स्लीप के अनुसार जमाबंदी नियमितिकरण हेतु विचार किया गया लेकिन प्रतिवेदित भूमि का जमाबंदी रैयत सुयोग्य श्रेणी के नही पाये गये तथा WP(C) संख्या 202/1995 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.1996 के अनुसार जंगल जंगल–झाडी की भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी नियमितिकरण नही किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–12.12.2017 में भी वन भूमि/जंगल झाडी (DEEMED FOREST) को नियमितिकरण हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। इस संबंध में जमाबंदी रैयत को दिन. ांक–26.02.2020, 09.09.2022, एवं 31.05.2025 को नोटिश दिया गया। जमाबंदी रैयत उपस्थित हुये एवं कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। मौजा कोजरम के खाता 1/5 प्लॉट 14 रकवा 2.30 ए0 एवं प्लॉट सं0 12 रकवा 0.20 ए0 कुल रकवा 2.50 ए0 किस्म जमीन जंगल–झाडी गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संदिग्ध है। राज्य हित की क्षतिकारित करने के लिए रैयत द्वारा अपने निजी हित साधनें के लिए जमाबंदी कायम हुई है।

अतः BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् मौजा कोजरम के खाता 1/5 प्लॉट 14 रकवा 2.30 ए0 एवं प्लॉट सं0 12 रकवा 0.20 ए0 कुल रकवा 2.50 ए0 किस्म गैरमजरूआ खास जंगल–झाडी जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0 52/1 पर मनराज गंझु के नाम कायम है, की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

10.11.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

10.11.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by Deepak Kumar Mishra
Date: 2025.11.11 15:52:33 +05:30
Location: 10.23.196.186

Scanned with OKEN Scanner